न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 346 सन 2018

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर। वादी

बनाम

1. मनफुल पुत्र मामराज जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र मनफुल जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
3. रेशमा 4 कलावती 5 कृष्णा पुत्रीया मनफुल जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 14.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 79/76 की कुल 5.1850हैव भूमि व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 299/286 के खसरा न0 32 की 11.8110 हैव में से 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई जिसका बटवारा होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने अधिकारी है अत: वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का बाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है जिसे राजस्व रिकार्ड में उनके नाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 79/76 की कुल 5.1850हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 299/286 के खसरा न0 32 की 11.8110हैक में से 1/8 हिस्सा प्रतिबादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखरे रूपाये पाच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official